

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
/ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,

जनपद-बुलन्दशहर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, देवरिया, रायबरेली, बहराइच, प्रतापगढ़ संतरविदासनगर, गौतमबुद्धनगर, चन्दौली, हाथरस, बलरामपुर, संतकबीरनगर, औरैया, कौशाम्बी, बागपत, श्रावस्ती, अमरोहा, कासगंज, हापुड़ एवं महाराजगंज। (22 जनपद)।

पत्रांक/003डीबीए/1119/पि0व0क0/अधि0आवं0/2016-17 लखनऊ:दिनांक: 18 अक्टूबर, 2016

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान संख्या 79 के अधीन लेखाशीर्षक, 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनेत्तर-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03- मुख्यालय / मण्डलीय/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान मद में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में अधिष्ठान मद में शासन के आदेश संख्या 6/2016/188/64-2-2016-1(01)/2016 दिनांक 20 अप्रैल, 2016 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से संलग्न विवरण के अनुसार रू0 90,54,407 (रूपया नब्बे लाख चौब्वन हजार चार सौ सात मात्र) की धनराशि जनपदीय कार्यालयों को निम्नलिखित शर्तों एवम् प्रतिबन्धों के अधीन आबंटित की जाती है:-

- 1- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवम् व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 01/2016 / बी-1-746/ दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दी गयी शर्तों/दिशा निर्देशों को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए तथा उसमें उल्लिखित संगत शर्तों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनेत्तर-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण- 001- निदेशन तथा प्रशासन-03- मुख्यालय/ मण्डलीय/जिला कार्यालय' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- 3- आबंटित धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष तक सुनिश्चित किया जाये। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- 4- आबंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय एवं व्यय आबंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाये।
- 5- समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी आदेशों का पालन विशेष रूप से किया जाय। यह उल्लेखनीय है कि शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितांत आवश्यक है। अतः यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय एवं मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद की मदों के अन्तर्गत व्यय करते समय मितव्ययिता किये जाने के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों को सम्मिलित करते हुए वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्या : 2163/10सचि0/(1)/91, दिनांक 10-12-1991 में उल्लिखित निर्णयों का दृढ़तापूर्वक पालन


किया जाये। कृपया इन मदों में बचत एवं उपभोग की सूचना यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- 6- कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक, बी0एम0-8 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। इस विवरण में कोषागार बाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
- 7- आहरण वितरण अधिकारी को अगली बार बजट तभी आवंटित किया जायेगा जब उपर्युक्तानुसार बी0एम0-8 में सूचना प्राप्त हो जायेगी।
- 8- आवंटित धनराशि का व्यय आपके कार्यालय में स्वीकृत कर्मियों की संख्या के अनुसार ही किया जायेगा।
- 9- यदि बी0एम0-8 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई घटना होने पर संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- 10- यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जाती है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
- 11- एक बार धनराशि समर्पित कर दिये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जा सकेगा। समर्पण के बाद बिना अनुमति के यदि कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है, तो इसके लिए आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- 12- कोषागार से आहरित धनराशि का नियमानुसार पूरा लेखाजोखा रखना अनिवार्य होगा।
- 13- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही सम्पूर्ण, मुख्य, उप-मुख्य, लघु एवं विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में अंकन में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से 'आयोजनेत्तर' शब्द अवश्य अंकित किया जाय, जिसके लिए रबड़ की मोहर अधिक श्रेयस्कर होगी।
- 14- बजट की किसी ऐसी प्राथमिक इकाई या लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाय, जिसके लिए बजट में प्राविधान नहीं है।
- 15- व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथियों तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।
 - 1- मासिक व्यय विवरण आगामी माह की दस तारीख तक।
 - 2- व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15.12.2016 तक।
 - 3- वर्ष 2016-17 में पुनर्विनियोग का प्रस्ताव दिनांक 15.01.2017 तक।
 - 4- वर्ष 2016-17 में समर्पण यदि कोई हो, की सूचना दिनांक 15.02.2017 तक।


प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 02 पर अंकित है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,



(सुषमा रानी)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी


(सुरेश चन्द्र तिवारी)
निदेशक

पृ0सं0: 003डीबीए/ 119 /पि0व0क0/अधि0आवं0/2016-17 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनु0-2
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।


(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-17/10/2016

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-

003-DBA

अनुदान संख्या:-

79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:-

2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े(आयोजनेत्तर-मतदेय)

03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - मुख्यालय/मंडलीय/जिला कार्यालय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	01-वेतन	02-मजदूरी	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	08-कार्यालय व्यय	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	13-टेलीफोन पर व्यय	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	49-चिकित्सा व्यय	योग
1	बुलन्दशहर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01-- वर्तमान प्रगामी	0 0	40000 140000	0 0	0 0	10000 20000	5000 10000	10000 10000	6000 6000	0 0	10000 30000	0 0	81000 216000
2	आगरा-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01-- वर्तमान प्रगामी	236875 691875	40000 140000	319374 884374	57374 107374	10000 25000	3000 15000	10000 10000	6000 11000	0 0	10000 35000	68200 68200	760823 1987823
3	इलाहाबाद-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01-- वर्तमान प्रगामी	617000 1570000	40000 140000	800000 1982000	92000 205000	10000 30000	5000 15000	10000 10000	6000 11000	15000 25000	20000 45000	0 0	1615000 4033000
4	वाराणसी-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01-- वर्तमान प्रगामी	241280 461280	40000 140000	328793 603793	21520 43520	10000 20000	5000 10000	10000 10000	6000 6000	0 0	20000 40000	30000 30000	712593 1364593
5	देवरिया-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01-- वर्तमान प्रगामी	219000 494000	40000 140000	271000 611000	12000 40000	10000 20000	5000 10000	5000 5000	0 0	0 0	0 20000	0 0	562000 1340000
6	रायबरेली-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01-- वर्तमान प्रगामी	395000 670000	40000 140000	494000 834000	0 28000	10000 20000	5000 10000	10000 10000	6000 6000	0 0	20000 40000	0 0	980000 1758000
7	बहराइच-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01-- वर्तमान प्रगामी	0 75000	40000 140000	0 95000	0 8000	0 10000	0 5000	0 0	0 0	0 0	0 20000	0 0	40000 353000
8	प्रतापगढ़-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01-- वर्तमान प्रगामी	150000 280000	40000 140000	195000 345000	15000 29000	10000 20000	5000 10000	10000 10000	6000 6000	0 0	20000 40000	0 0	451000 880000

